न्यायालय सहायक कलेक्टर बागोडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी :— श्री गोमती शर्मा (आर.ए.एस.)
मु. नं. 44/2017

वादी	बनाम	प्रतिवादी
जगमालसिंह पुत्र दीपसिंहजी जाति राजपुत निवासी बागोडा जिला जालोर		1. मोडसिंह पुत्र भूरसिंह 2. देवीसिंह पुत्र भूरसिंह 3. गणपतसिंह पुत्र भूरसिंह 4. पदमसिंह पुत्र सवसिंह 5. शैतानसिंह पुत्र सवसिंह 6. तारकंवर पत्नी स्व. सवसिंह 7. गुमानसिंह पुत्र अमरसिंह 8. दलसिंह पुत्र अमरसिंह 9. डुंगरसिंह पुत्र मोंगसिंह 10. नरपतसिंह पुत्र मोंगसिंह 11. जालमसिंह पुत्र मोंगसिंह 12. जीवसिंह पुत्र मोंगसिंह 13. सरूकंवर पुत्री मोंगसिंह (पत्नी जबरसिंह निवासी आसाणा तहसील सायला) 14. पुनीकंवर पुत्र मोंगसिंह 15. हुकमसिंह पुत्र भूपसिंह 16. चनणसिंह पुत्र भूपसिंह 17. कालुसिह पुत्र हेमसिह 18. हडमतसिंह पुत्र हेमसिंह कौम राजपुत निवासीगण बागोडा जिला जालोर 19. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बागोडा जिला जालोर

उपस्थित अधिवक्ताः—

1. श्री गोरधनराम विश्नोई वकील वादी

निर्णय

दिनांक 6/9/2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण विश्लेषण इस प्रकार है कि वकील वादी ने एक वाद अर्न्तगत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश कर निवदेन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 18 की शामलाती खातेदारी भूमि सरहद मौजा बागोडा में स्थित है, जिसके खसरा नम्बर 1380 रकबा 1.25 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम, खसरा नम्बर 1381 रकबा 2.65 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम, खसरा नम्बर 1382 रकबा 0.01 हैक्टैयर किस्म गैर मुमकिन बैरा, खसरा नम्बर 1383 रकबा 3.18 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम जाव सोयम कल रकबा 7.09 हैक्टेयर है। उक्त आराजी में वादी का 1/9 हिस्सा,व प्रतिवादी संख्या 9 से 18 का 5/9 हिस्सा है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 18 की शामलाती भूमि होने से काश्त करने में परेशानी रहती है। हर समय

सहायक कलेक्टर
बागोडा

Scanned by CamScanner

अपने–अपने हिस्से में काश्त करने में आपसी विवाद होता रहता है तथा वादी अपने हिस्से की भूमि में बंटवाडा नहीं होने से खाद आदि डालकर भूमि को उन्नत उपजाउ भी नहीं बना सकते तथा बैंक आदि में ऋण को लेने में भी शामलाती भूमि में परेशानी रहती है, जिससे वादी अपने हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार या बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस भौतिक रूप से रास्ते की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए बंटवाडा करवाना चाहता है, वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 18 को काश्त की सुविधा रहे इस हेतु दिनांक 01.09.2017 को अपने–अपने हिस्से अनुसार बंटवाडा करवाने का निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 18 बंटवाडा करने से इन्कार कर दिया तथा उल्टा वादी के हिस्से की भूमि में दखलंदाजी करने की व बेदखल करने की धमकी देने लगे तथा आराजी बेचान व हस्तातंरण करने की धमकी दी, जिस हेतु वाद बाबत् निषेधाज्ञा का भी पेश करना जरूरी हुआ है। सरहद मौजा बागोडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1380 रकबा 1.25 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम जाव सोयम, खसरा नम्बर 1381 रकबा 2.65 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम जाव सोयम, खसरा नम्बर 1382 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बैरा, खसरा नम्बर 1383 रकबा 3.18 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम जाव सोयम, कुल रकबा 7.09 हैक्टेयर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 18 के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार या बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस भौतिक रूप से रास्ते की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए वादी का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का 3/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 9 से 18 का 5/9 हिस्सा अनुसार बंटवाडा किया जाकर अलग–अलग खातेदारी दर्ज की जावें। इस पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो को जरिये समन तलब किया इस पर प्रतिवादीगण बावजुद समन तामिल के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी, एवं वादी के ब्यान लिये गये , दिनांक 28/5/2019 को तहसीलदार बागोडा से बंटवाडा प्रस्ताव मंगवाये गये, उक्त आदेश की अनुपालना में तहसीलदार बागोडा द्वारा दिनांक 22/7/2019 को प्रस्ताव तैयार कर पेश किया, तहसीलदार बागोडा की रिर्पोट अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/9 हिस्सा आता है,जो निम्नानुसार प्रस्तावित हैः–

1. जगमालसिह पुत्र दीपसिह राजपूत साकिन बागोडा,

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1381 मे से	0.79 है0	चा.सो. जा.सो.	4.37 रू.

2. कालूसिह पुत्र हेमसिह,गणपतसिह पुत्र भूरसिह, गुमानसिह पुत्र अमरसिह, चनणसिह पुत्र भूपसिह, जीवसिह पुत्र मोगसिह डुंगरसिह पुत्र मोगसिह, तारकंवर पत्नि स्व. सवसिह, दलसिह पुत्र अमरसिह, **रहन आर.एम.जी.बी. बागोडा**, देवीसिह पुत्र भुरसिह,नरपतसिह पुत्र मोंगसिह, पदमसिह पुत्र सवसिह,पूनीकंवर पत्नी मोगसिंह मोडसिह पुत्र भूरसिह शैतानसिह पुत्र सवसिह, सरूकंवर पुत्री मोगसिह, हुकमसिह पुत्र भूपसिह, हडमतसिह पुत्र हेमसिह जातियान राजपूत साकिन बागोडा के हिस्से में

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1380	1.25 है.	चा.सो.जा.सो	7.50,3.00
1381 मे से	1.86 है.	चा.सो. 0.25 जा.सो 1.61	3.75,6.44
1382	0.01	गै.मु. बेरा	
1383	3.18	चा.सो. जा.सो	7.35,10.76
4	6.30 है0		38.80 रू.

तहसीलदार बागोडा द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक डिक्री के प्रस्ताव शामील पत्रावली किये गये, एवं प्रार्थी अधिवक्ता श्री गोरधनराम विश्नोई की एक पक्षिय बहस सुनी गयी प्रार्थी के अधिवक्ता श्री गोरधनराम विश्नोई ने उक्त प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया एवं मौके पर नजरी नक्शा अनुसार ही कब्जा होना जाहिर किया।

सहायक कलक्टर
बागोडा

Scanned by CamScanner

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बागोडा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा बागोडा के खसरा नम्बर 1381 मे से 0.79 है. नजरी नक्शा में दर्शाए अनुसार वादी के हिस्से में एवं शेष चार खसरा नम्बरान 1380 रकबा 1.25 है. चा.सो. जा.सो खसरा नम्बर 1381 मे से रकबा 1.86 है.चा.सो. 0.25 जा.सो 1.61 है. खसरा नम्बर 1382 रकबा 0.01 गै.मु. बेरा खसरा नम्बर 1383 रकबा 3.18 है0 जुमले 6.30 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 18 की शामलाती भूमि राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने की अनुमति प्रदान की जाती है, तहसीलदार बागोडा को निर्देश दिये जाते है इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अमल दरामद करे, निर्णय सरे इजलास सुनाया गया मिशल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर बागोडा

सहायक कलेक्टर
बागोडा

Scanned by CamScanner